

**Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017**

**Section 3 : Projected growth rate**

The projected nominal growth rate of revenue subsumed for a State during the transition period shall be fourteen percent, per annum.

---

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

**धारा 3 : अनुमानित विकास दर**

संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की अनुमानित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

---